1500

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

ः विविध आदेश ःः

क्रमांक 34 / दो−12-2 / 09

उमरिया, दिनांक <u>0</u>4/07/2020

विषय:- उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06 जुलाई से 11 जुलाई, 2020 तक न्यायालयों के पुनः नियमित संचालन के संबंध में।

संदर्भ :- रजिस्ट्री जवलपुर का परिपत्र क्र. सी / 1625 दिनांक 04.07.2020

--00--

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जवलपुर के संदर्भित परिपत्र के अनुसार कोविड—19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम पर विचार करते हुए मुख्यालय उमरिया एवं बाह्य न्यायालय मानपुर/बिरसिंहपुर पाली के न्यायालयों में साक्ष्यों के लेखन को छोड़कर निम्नानुसार निर्देश के साथ दिनांक 06 जुलाई से 11 जुलाई, 2020 तक पुनः न्यायालयों का नियमित संचालन किया जाता है:—

- 1- प्रकरणों की नियमित सुनवाई के अतिरिक्त, वीडियों कांफ्रेन्सिंग के द्वारा भी नियमित रूप से सुनवाई करने अथवा अधिवक्ताओं / पक्षकारों के लिए, जो वीडियों कांफ्रेन्सिंग के द्वारा सुनवाई चाहते हों, अन्य सुविधाजनक माध्यम से सुनवाई की जावे।
- 2— न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पक्षकार एवं कर्मचारी एहतियात उपायों के साथ प्रवेश एवं निकास करेंगे। न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ एकत्र नहीं करेंगे।
- 3— न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं कर्मचारियों जो कंटेन्मेन्ट जोन अथवा कर्पयू क्षेत्र में निवास करते हैं और ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्वारंटाइन/ आइसोलेट किया गया है, न्यायालय परिसर में उनका प्रवेश प्रतिवंधित होगा।
- 4— न्यायालय परिसर में शराब, पान, गुटका अथवा तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश न्यायालय परिसर में सख्त निषेध होगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त कृत्य में सम्मिलित पाया गया तो राज्य/केन्द्र सरकार के कानून/नियम— निर्देशों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा।
- 5— न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारों एवं कर्मचारीगण न्यायालय परिसर में फेस मास्क अथवा फेस कव्हर पहनकर ही प्रवेश करेंगे। संबंधित जिली न्यायाधीश **ए**वं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि बिना फेस मास्क के कोई व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न करे।
- 6— शासन के सुझावों के अनुसार 65 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का आना—जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अधिवक्तागण, बच्चे और अन्य संबंधित जिनकी उम्र 65 वर्ष अथवा इससे अधिक है, वे न्यायालय में उपस्थित न हों। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 7— न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं कर्मचारियों के प्रवेश हेतु समस्त प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनर उपलब्ध होगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार मेडिकल स्टॉफ की सहायता से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की उचित जाँच (स्क्रीनिंग) उपस्थित कर्मचारी के द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
- 8- ऐसे व्यक्ति जिसमें वुखार, जुकाम जैसे लक्षण पाये जाने पर न्यायालय पिरसर में प्रवेश की अनुमित नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी में बुखार/जुकाम के लक्षण पाये जाते हैं तो संबंधित पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश को तत्काल सूचित किया जावे।
- 9— यदि किसी अधिवक्ता में बुखार, जुकाम जैसे लक्षण पाये जाते हैं, तो संबंधित अधिवक्ता संघ के साथ-साथ जिला न्यायाधीश को तत्काल सूचित किया जावे।
- 10— न्यायालय परिसर में प्रवेश केवल अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों तक ही सीमित रखने के लिए न्यायालय परिसर के प्रवेश रथल पर आवश्यकता के अनुसार स्टॉफ तैनात किया जावे, जिनके मामले किसी विशेष दिन में न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं।



- 11— न्यायालय परिसर में स्थित कैंटीन नहीं खोले जायेंगे। अन्य आवश्यकताओं जैसे फोटोकॉपी की दुकाने आदि जिला न्यायाधीश को सूचित कर अथवा अनुमित प्राप्त कर खोले जा सकते हैं।
- 12— सम्पूर्ण परिसर को आवश्यक व उचित रूप से सेनिटाइज कराना सुनिश्चित किया जावे। मुख्य द्वार, प्रसाधन स्थल (टायलेट), न्यायालय के गलियारों में हैण्डवॉश व सेनिटाइजर उपलब्ध कराये जाये। जिला नाजिर एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धोये न्यायालय कक्ष अथवा न्यायालय परिसर में प्रवेश न करे जिसके लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
- 13— यह सुनिश्चित किया जावे कि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों, कर्मचारियों एवं हितधारकों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे।
- 14— जागरूकता के लिए, क्या करें व क्या न करें एवं सावधानियों से संबंधित जागरूकता संकेत न्यायालय परिसर में उचित स्थान पर लगाया जाना सुनिश्चित करें।
- 15— दैनिक निगरानी करने व आवश्यक सुझाव देने हेतु स्थापना पर समिति का गठन किया गया है, समिति द्वारा रिजस्ट्री निर्देश के परिप्रेक्ष्य में दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जावे। बाह्य न्यायालय मानपुर/बिरसिंहपुर पाली के पीठासीन अधिकारी समिति का गठन करें।
- 16— समय—समय पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश / केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावे।

संलग्न :— रजिस्ट्री जबलपुर का परिपन्न क्र. सी / 1625 दिनांक 04.07.2020

> (ए.के. भाटिया) जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया (म०प्र०) उमरिया, दिनांक 🔥 / 2020

पृष्ठा. क्रमांक 865/दौ–12–2/09 प्रतिलिपिः–

1 श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

2 समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली

3 समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, उमिरया/मानपुर/बिरसिंहपुर पाली

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमिरया

5 प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया

6 अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उमरिया / मानपुर / बिरसिंहपुर पाली।

7 कलेक्टर, जिला उमरिया

पुलिस अधीक्षक, जिला उमिरया

9 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया

10 लोक अभियोजक, उमरिया

11 जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उमरिया

12 जेल अधीक्षक, जिला जेल, उमरिया

13 जिला जनसंपर्क अधिकारी, उमरिया

14 प्रशासनिक अधिकारी / जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उमरिया

15 सिस्टम आफिसर/आई.टी. अस्सिटेंट/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया (म०प्र०)

// CIRCULAR //

No. C 1625

Jabalpur, dated 04/07/2020

Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control and containment of spread of COVID-19 in the State of M.P., have been pleased to issue the following directions, regarding functioning of the High Court as well as the District Courts/Family Courts in State of M.P. with effect from 06.07.2020 till 11.07.2020:

- From 6th July to 11th July, 2020, the Subordinate Courts/Family Courts of districts - Hoshangabad, Dindori, Anuppur, Jhabua, Umariya, Mandla and Alirajpur shall resume regular functioning except recording of evidence with the following directions:-
- In addition to the regular hearing of cases, hearing would also continue through video conferencing or any other convenient mode for the Advocates/litigants who desire hearing through V.C.
- (ii) District & Sessions Judges at District Headquarters and at Tehsil places would take precautionary measures for entry and exit of Judicial Officers, Lawyers, Litigants and staff in the court premises and shall take all required steps for limiting the gathering in court premises and in court rooms.
- (iii) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who are residing in containment zones or the areas under curfew and the persons who are under quarantine/isolation shall be prohibited for entering in the court premises.
- (iv) Persons consuming liquor, pan, gutka or tobacco, spitting inside the court premises shall be strictly prohibited. If any person found involved in any of the aforesaid acts, shall be liable for prosecution/punishment as per the law/guidelines of the Central/State Government.

- (v) Judicial Officers, Advocates, litigants and staff who appear in the court premises shall wear face mask or face cover. Concerned District Judge and the President of Bar Association shall ensure that nobody will enter in the court premises without face mask.
- (vi) As the Government advisory has required restricted movement for persons attaining the age of 65 years and above, the Advocates, children and all other concerned aged 65 years and above shall be requested to exercise due caution/avoid physical appearance in the courts. District Judges and President of Bar Association shall ensure the compliance.
- (vii) All the gates for entry of Judicial Officers, advocates, staff and litigants may be equipped with requisite thermal scanners. The staff shall ensure proper screening of the entering persons with the help of medical staff as per the SOP issued by the Central and the State Government.
- (viii) Any person having fever and flu like symptoms shall not be allowed to enter in the court premises. If any staff member is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Presiding Officer/District Judge.
- (ix) If any Advocate is having fever/flu symptoms, would immediately inform the concerned Bar Association immediately with intimation to the District Judge.
- (x) The District Judge concerned shall post staff as per requirement, at the entry point of the court campus to restrict the entry into the court premises only to the lawyers and litigants whose cases are posted before the court on a particular day.
- (xi) Canteen situated in the court premises shall not be opened. Functioning of other essential requirements like opening of Photo copying shops etc shall be the domain of the District Judge concerned.
- (xii) Proper sanitization of entire premises must be ensured. Hand wash and sanitizers may be provided at Main Gate, Toilets and court corridors. District Judge and President Bar Association shall ensure that no person enters in the Court Room/Court Premises without handwash/hand sanitizer.



- (xiii) It shall be ensured that social distancing is maintained amongst all the Judicial Officers, lawyers, litigants, staff and other stake holders.
- (xiv) Awareness signage mentioning Do's and Don't's and precautions be affixed at appropriate places in the court premises.
- (xv) A Committee of one Judicial Officer, Bar President and one senior court staff shall be constituted to supervise and monitor the situation on daily basis to ensure the compliance of these directions.
- (xvi) All the guidelines issued by the High Court of M.P./Central and State Government from time to time shall be strictly followed.
- 2. High Court and remaining 43 districts (other than 7 districts mentioned above) shall continue the limited functioning from 6th July till 11 July, 2020, as per Circular No.Q-12 dated 4th May 2020 and Circular No.D/2377 dated 27.06.2020 except District & Sessions Court, Indore, where only urgent matters will be heard, as per Circular No.A/851 dated 20.03.2020 and other relevant guidelines/directions, issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice

(RAJENDRA KUMAR VANI) REGISTRAR GENERAL